लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS/LSBA/ Proj/08/17/114 दिनांक : 21.06.2017

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
राज्य समन्वयक-सह-प्रशासी पदाधिकारी,
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, पटना।

सेवा में,

सभी जिला स्वच्छ भारत प्रेरक,
बिहार।

विषय : बिहार राज्य के स्वच्छता आच्छादन (Sanitation Coverage) को 30% से 40% तक बढ़ाने हेतु कार्य योजना के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 085 दिनांक 03.06.2017 ।

महाशय/महाशया,

स्वच्छता आच्छादन (Sanitation Coverage) में बिहार राज्य अभी भी देश में सबसे निचले पायदान पर है। यद्यपि सभी जिलों द्वारा विगत कुछ महीनें में LSBA के कार्यों में प्राथमिकता के साथ तेजी लायी गयी है।

अत: यह आवश्यक है कि बिहार राज्य को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में नई रणनीति एवं उर्जा के साथ समुदाय के व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता आच्छादन (Sanitation Coverage) में तेजी लायी जाय।

माह जुलाई 2017 तक आप सभी के प्रयास से यह संभव है कि राज्य के आच्छादन को 40% तक किया जा सकता है। इस हेतु जिलास्तर पर निम्न कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करा कर जिला एवं राज्य के स्वच्छता (Sanitation Coverage) को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया जा सकता है।

जिले में पूर्व से ODF घोषित वैसे ग्राम पंचायत की सूची (जिसमें IMIS के अनुसार IHHL का आच्छादन 100% से कम है) के अनुसार इन ग्राम पंचायत/ग्रामों में IHHL में 100% आच्छादित करने की कार्रवाई निम्न रूप से की जाय :-

21/6/17

- यदि वास्तव में उक्त ग्राम पंचायत/ग्राम में अब कोई परिवार IHHL हेतु शेष नहीं है (ODEP के अनुसार) तो IMIS में दर्ज शेष संख्या को Delete/Shift (स्थानान्तरित) करने का प्रस्ताव भेजते हुए Delete/Shift (स्थानान्तरित) किया जाय।
- यदि उक्त ग्राम पंचायत/ग्राम में शेष निर्मित IHHL के आवेदन IMIS पर दर्ज करने हेतु लंबित है तो अविलम्ब उसे IMIS पर दर्ज किया जाय।
- यदि उक्त ग्राम पंचायत/ग्राम के शेष परिवरों को IHHL निर्माण शेष है तो अवलम्ब अग्रतर कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिवेदन भेंजे।

सभी ZSBPs उपरोक्त कार्य को Mission Mode में अगामी एक सप्ताह में संबंधित जिला के सहयोग से पूर्ण करेंगे।

विश्वासभाजन,

21/6/12

(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि : सभी जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।